

कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा ।

प्रेस- नोट

दिनांक- 20.08.2026

वांछित/फरार अभियुक्त लल्लू उर्फ बाबा प्रजापति पर 50,000 का पुरस्कार घोषित ।

जनपद हमीरपुर के थाना ललपुरा पर जघन्य अपराध/हत्या से संबंधित प्रकरण में मु0अ0सं0 85/2012, धारा 201, 302, 364 भा0दं0सं0 एवं विवेचना के दौरान बढ़ोत्तरी धारा 147, 148, 149, 120बी भा0दं0सं0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक, थाना ललपुरा, जनपद हमीरपुर द्वारा की जा रही है ।

उक्त अभियोग में अभियुक्त लल्लू उर्फ बाबा प्रजापति पुत्र नदकू, निवासी ग्राम उमरी, थाना बिवांर, जनपद हमीरपुर वांछित चल रहा है । अभियुक्त घटना के समय से ही लगातार फरार है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस स्तर से आवश्यक प्रयास किए जाने के बावजूद उसके अब तक गिरफ्तार न होने के दृष्टिगत उसकी गिरफ्तारी पर पुरस्कार घोषित किए जाने की कार्यवाही की गई ।

प्रकरण की गंभीरता एवं अभियुक्त की लगातार फरारी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) का पुरस्कार बढ़ाए जाने के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई । उक्त रिपोर्ट के क्रम में आज दिनांक 20.08.2026 को मेरे द्वारा वांछित **अभियुक्त लल्लू उर्फ बाबा प्रजापति पुत्र नदकू निवासी ग्राम उमरी, थाना बिवांर, जनपद हमीरपुर की गिरफ्तारी हेतु ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) का पुरस्कार घोषित किया गया है ।**

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु संबंधित पुलिस इकाइयों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं तथा अभियुक्त के संबंध में प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।